



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042026-271483
CG-DL-E-01042026-271483

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 233]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

फा. सं. 1/12/केविप्रा/डीपीएम/विनियमन/2025.—चूंकि प्रारूप केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2026, जिसके द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव है, का विज्ञापन देने के लिए सार्वजनिक सूचना, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 के उप-धारा (2) और विद्युत (पूर्व प्रकाशन प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम 3 के उप-नियम (2) के अधीन आवश्यकतानुसार, छह समाचार पत्र दैनिकों में प्रकाशित की गई थी, ताकि उक्त प्रारूप विनियमों की सार्वजनिक प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें;

तथा चूंकि समाचार पत्रों में विज्ञापित सार्वजनिक सूचना तथा उक्त प्रारूप विनियमों की प्रति 23 फरवरी, 2026 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी;

तथा चूंकि जनता से प्राप्त उक्त प्रारूप विनियमों पर आपत्तियों एवं सुझावों पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है:

अतः, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उपधारा (2) के खंड (ग) और धारा 55 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, एतद्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. -(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2026 है।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 (जिसे इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 4 के उप-विनियम (1) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप स्मार्ट मीटर के साथ बिजली की आपूर्ति की जाएगी;

परन्तु सुसंगत भारतीय मानक में निर्दिष्ट से अधिक विद्युत धारा वहन क्षमता वाले सभी उपभोक्ता कनेक्शनों को स्वचालित रिमोट मीटर रीडिंग सुविधा वाले मीटर या सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप स्मार्ट मीटर प्रदान किए जाएंगे;

परन्तु यह और कि जो क्षेत्र संचार नेटवर्क की कवरेज के अंतर्गत नहीं हैं, वहां संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप, पूर्व भुगतान मीटरों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी;

परन्तु यह भी कि सभी एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पूर्व भुगतान सुविधा और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरप्रचालनीयता होगी;

परन्तु यह भी कि 1.0/0.5S की सटीकता श्रेणी वाले संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप स्मार्ट मीटर, 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज स्तर पर ओपन एक्सेस की अनुमति प्राप्त उपभोक्ता के लिए इंटरफेस मीटर के रूप में कार्य करेगा।”

- उक्त विनियमों के विनियम 7 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, सारणी-1 में क्रमांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

क्र. सं.	चरण	मुख्य मीटर	चेक मीटर	स्टैंडबाई मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली या राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से सीधे संयोजित उपभोक्ता, जिन्हें समुचित आयोग द्वारा 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज स्तर पर ओपन एक्सेस की अनुमति दी गई है या कोई अन्य प्रणाली, जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं है।	उपभोक्ता के परिसर में।		उपभोक्ता परिसर में अलग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पर या लाइसेंसधारी के सबस्टेशन पर, जैसा कि आपसी सहमति से तय किया गया हो।
5.	650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज स्तर वाले उपभोक्ता को ओपन एक्सेस की अनुमति नहीं है।	उपभोक्ता के परिसर में।	उपभोक्ता के परिसर में।	-----”.

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./02/2026-27]

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 502/70/CEA/DP&D, दिनांक 22 मार्च, 2006 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या CEA-GO-13-15(12)/1/2022-DPR डिवीजन, दिनांक 28 फरवरी, 2022 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042026-271775
CG-DL-E-13042026-271775

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]
No. 260]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

फा. सं. 1/12/केविप्रा/डीपीएम/विनियमन/2025.— केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2026 के प्रकाशन हेतु, अधिसूचना संख्या फा. सं. 1/12/केविप्रा/डीपीएम/विनियमन/2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक अप्रैल 1, 2026 को प्रकाशित की गयी थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है. अर्थात्:-

- (क) पृष्ठ 2, पैराग्राफ 2, लाइन 13 पर, वाक्यांश "से अधिक" के स्थान पर वाक्यांश "या उससे कम" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) पृष्ठ 2, सारणी, क्रमांक 5 में, वाक्य "650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज स्तर वाले उपभोक्ता को ओपन एक्सेस की अनुमति नहीं है।" के स्थान पर वाक्य "650 वोल्ट या उससे कम वोल्टेज स्तर वाले उपभोक्ता जिनको ओपन एक्सेस की अनुमति है।" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./29/2026-27]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 10th April, 2026

F. No. 1/12/CEA/DPM/Regulations/2025.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 177 of the Electricity Act, 2003, the Central Electricity Authority hereby makes the following corrections in the notification of the Central Electricity Authority number F No.1/12/CEA/DPM/Regulations/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 1st April, 2026, publishing the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Amendment Regulations, 2026, namely:—

- (a) At page 3, paragraph 3, line 1, the word “pentries” shall be substituted with the word “entries”.

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./29/2026-27]